UPSH050007902022

न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)एफ.टी.सी. कक्ष सं–27, शाहजहाँपुर।

मूलवाद सं–469/2022

राहुल सिंह आदि बनाम सक्षम अधिकारी उपखंड शाहजहाँपुर उ.प्र. आवास विकास परिषद बरेली मोड आदि।

13.05.2025

वाद पुकारा गया। पुकार पर वादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली में अभी तक प्रार्थना पत्र 6 ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का भी निस्तारण नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6 ग अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली वादीगण के इन्तजार में लंच बाद पेश हो।

(दिनेश कुमार दिवाकर)
सिविल जज (सी.डि.)एफ.टी.सी.
कक्ष सं–27, शाहजहाँपुर।

लंचबाद।

वाद पुनः पुकारा गया। पुकार पर वादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण विगत तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण वाद की कार्यवाही को अग्रसारित कराने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादीगण की अनुपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा, वादीगण की अनुपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. में खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(दिनेश कुमार दिवाकर)
सिविल जज (सी.डि.)एफ.टी.सी.
कक्ष सं–27, शाहजहाँपुर।
(J.O.CODE–UP2623)

Digitally signed by DINESH KUMAR DIWAKAR
Date: 2025.05.13 12:54:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court